राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 95/2023

मुकेश यादव –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मीना कुलदीप, वरिष्ठ अध्यापक (गणित) स्थानान्तरणाधीन एपीओ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुदारपुरा ढाढा, पावटा, जयपुर।
5. रमेश सैनी, वरिष्ठ अध्यापक (गणित) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोसरिया, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 11.01.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, गोविंदगढ जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, गोविंदगढ जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनोहरपुरा, शाहपुरा, जयपुर तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोसरिया, टोंक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, गोविंदगढ जिला जयपुर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया था जबकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र चौमूं (043), उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूं, जयपुर के आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति पर्यवेक्षक/बीएलओ के पद पर की गई थी तथा बूथ लेवल अधिकारियों के स्थानान्तरण पर 31.12.2022 तक कार्यमुक्त करने पर रोक

लगाई गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहपुरा, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुदारपुरा ढाढा, पावटा, जयपुर किया गया था, जहां पर प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, गोविंदगढ जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनोहरपुरा, शाहपुरा, जयपुर स्थानान्तरणाधीन मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुदारपुरा ढाढा, पावटा, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित के प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से 80 कि.मी. दूर किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थानान्तरणाधीन मानते हुए आदेशों की प्रतीक्षा मे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुदारपुरा ढाढा, पावटा, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनोहरपुरा, शाहपुरा, जयपुर किया गया। अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल दिया गया है जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है इससे स्पष्ट होता है कि उसकी स्वयं की ईच्छा से स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 09.11.2022 से 05.01.2023 तक प्रतिबंध लगाया गया था इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण अवैध एवं अनुचित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, गोविंदगढ जिला जयपुर में कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति प्रकट नहीं होती है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2022 की पालना नहीं की गई थी एवं तत्पश्चात् उन्हें आदेश दिनांक 20.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारपुरा, ढाढा, पावटा, जयपुर में किया गया है, इस आदेश में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम

न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)